

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्यवहार प्रक्रिया संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी-उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या-323/2017

1. नथु सिंह पुत्र स्व.श्री प्रीतम सिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मसानी, तहसील टिब्बी।

बनाम

-वादी

1. जंगीर सिंह पुत्र स्व.श्री प्रीतम सिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मसानी तहसील टिब्बी।
2. बचन कौर पुत्री स्व. श्री प्रीतम सिंह धर्मपति श्री जग्गा सिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. भोलो कौर उर्फ गोलो पुत्री स्व. श्री प्रीतम सिंह धर्मपति श्री सरजीत सिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. भूरो कौर पुत्री स्व.श्री प्रीतम सिंह धर्मपति श्री रणजीत सिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5. मूर्ति कौर पुत्री स्व.श्री प्रीतम सिंह धर्मपति श्री बलौर सिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी।



-प्रतिवादीमण

वादी की ओर श्री अब्दुल सत्तार जोईया अधिवक्ता व प्रतिवादीमण की ओर से श्री सजद सहु सिंह की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 14.6.2018 को श्री उम्मेदसिंह रतनू, उपखण्ड अधिकारी टिब्बी, के समक्ष मुताबिक राजीनामा अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:-

1. वादी नथूसिंह को प्राप्त आराजी:-चक नं.14 जी.जी.आर.के खाता संख्या 77/69 के प.नं. 185/295 किला नम्बर 21/0.253 है व प. नं.185/296 (64) के किला नम्बर 1 से 4, 5-6 मय गै.मु.रास्ता व किला नम्बर 7 तादादी 1.771 है, प.नं.184/296 (65) के किला नम्बर 4,5,6 मय गै.मु. खाला, किला नम्बर 7 तादादी 1.012 है व चक नं.14 जी.जी.आर. के खाता संख्या 78/70 के प.नं.183/295 (59) के किला नम्बर 8,13,18,22 से 24, तादादी 1.518 है व चक नं.17 जी.जी.आर. के खाता संख्या 61/68 के प.नं.181/280 (54) के किला नम्बर 11 से 14, 15/1 में 0.126 मय गै0मु0 खाला, किला नम्बर 20/1 में 0.127, 23-24 तादादी 1.771 है कुल 6.325 है. आराजी का खाता विभाजन किया जाकर रकम राज अलग से किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा उक्त खाता से प्रतिवादी संख्या 1 जंगीरसिंह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 जंगीर सिंह को प्राप्त आराजी:-चक नं. 12 जी.जी.आर. के खाता संख्या 35/35 के प.नं.191/287 (7) के किला नम्बर 11 से 14, 18 से 20 तादादी 1.771 है. प.न. 191/289 (23) के किला नम्बर 1 से 5 मय गै0मु0 रास्ता, किला नम्बर 7 से 13, 20 तादादी 3.289 है0 मय गै0मु0 रास्ता, प.नं.190/289 (24) के किला नम्बर 6 मय गै0मु0 खाला, 7-8, 12/1 में 0.164, 19/1 में 0.089 तादादी 1.012 है0, प.नं.189/289 (25)22 से 24 तादादी 0.759 है0 व चक नं. 13 जी.जी.आर. के खाता संख्या 114/114 के प.नं. 188/284 (87) के किला नम्बर 21/0.139, 22/0.076, 23/0.051 तादादी 0.266 है0 मय गै0मु0 खाला, प.न. 188/285 (98) के किला नम्बर 1 से 3 तादादी 0.759 है0 व चक 15 जी.जी.आर. के खाता संख्या-23/23 के प.नं.184/281 (46) के किला नम्बर 1 मय गै0मु0 रास्ता तादादी 0.253 है0 कुल 8.109 है. आराजी का खाता विभाजन किया जाकर रकम राज अलग से किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा उक्त खाता से वादी का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

चक नं.17 जी.जी.आर. के खाता संख्या 63/32 कुल तादादी 0.759 हैक्टेयर में से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 0.369 हैक्टेयर भूमि व खाता संख्या 108/110 में कुल तादादी 2.277 हैक्टेयर में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 0.759 हैक्टेयर भूमि व खाता संख्या 161/167 में कुल तादादी 5.819 हैक्टेयर जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के

नाम दर्ज प्रविष्टि "नत्थू सिंह-जंगीर सिंह पि. प्रीतम सिंह बहिब 1/5 हिस्सा व नत्थू सिंह-जंगीर सिंह बहिब 0.050 हि दर 1/5 हिस्सा" अर्थात 1.214 हैक्टेयर अर्थात 4 बीघा 16 बिस्वा भूमि व चक 15 जी.जी.आर. के खाता संख्या 35/33 में कुल तादादी 0.379 हैक्टेयर व खाता संख्या 36/34 में कुल तादादी 1.417 हैक्टेयर में वादी-नत्थू सिंह को 0.152 हैक्टेयर व चक 14 जी.जी.आर. के खाता संख्या 42/43 में 0.886 हैक्टेयर कुल 3.456 है. का वादी-नत्थू सिंह को खातेदार घोषित किया जाता है तथा उक्त खाता से मुताबिक घोषणा प्रतिवादी संख्या 1 व वादी की माता स्व0 चन्दकौर का नाम कलमजन करने के आदेश दिये दिये जाते हैं। इसी प्रकार चक 15 जी.जी.आर. के खाता संख्या 35/33 में कुल तादादी 0.379 हैक्टेयर में 0.126 हैक्टेयर व खाता संख्या 36/34 में कुल तादादी 1.417 हैक्टेयर में 0.322 हैक्टेयर व चक 12 जी.जी.आर. के खाता संख्या 34/34 में 0.911 हैक्टेयर भूमि में 0.1832 हैक्टेयर व खाता संख्या 75/75 में कुल तादादी 1.493 हैक्टेयर में 0.299 हैक्टेयर अर्थात 1 बीघा 4 बिस्वा व चक 17 जी.जी.आर. के खाता संख्या 49/56 में कुल तादादी 1.000 हैक्टेयर में 0.400 हैक्टेयर अर्थात 1 बीघा 12 बिस्वा व चक 23 एन.जी.सी. के खाता संख्या 73/68 में कुल तादादी 1.012 हैक्टेयर में 0.253 हैक्टेयर अर्थात 1 बीघा खाता संख्या-74/76 में कुल तादादी 0.759 हैक्टेयर में 0.152 हैक्टेयर अर्थात 12 बिस्वा कुल 1.735 है.का प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार घोषित किया जाता है तथा उक्त खाता से मुताबिक घोषणा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की माता स्व0 चन्दकौर का नाम कलमजन किये जाने क आदेश दिये जाते हैं। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी कृषि भूमि में जाने के लिये रास्ता,खाला का प्रावधान रखते हुए खाता विभाजन करवाया है। रास्ता व खाला का राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। बैंक ऋण होने क स्थिति में बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज तारीख 11.6.2018 को राजस्व लोक अदालत अभियान ग्राम पंचायत सलेमगढ़ में मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(उम्मेदसिंह रतनू)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
टिब्बी

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वादपत्र के लिए स्टाम्प	1100/-	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	0	प्लीडर की फीस	0
4. ...रुपये पर प्लीडर की फीस	0	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	0
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	0	आदेशिका की तामील	0
6. कमिश्नर की फीस	0	कमिश्नर की फीस	0
7. आदेशिका की तामील	0		0
जोड़	1100/-	जोड़	0